XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख स
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

विविध वाद संख्या–92/2011

बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा–49 (जी) अन्तर्गत

श्री बैजूल उर्फ बैजून हेम्ब्रम, पिता–स्व0 सुफल हेम्ब्रम, साकिन–झौवारी धाट, थाना–के0 नगर, जिला–पूर्णियाँ..............

आवेदक

आदेश

यह विविध अनुमति वाद बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा–49 (जी0) अन्तर्गत आवेदक द्वारा अपनी बिमारी के इलाज कराने हेतु मौजा–परोरा, थाना नं0–126, 127 एवं 128, खाता नं0–223, खेसरा नं0–1004, रकवा–1..00 एकड़ जमीन मो0 इब्राहिम, पिता–अब्दूल शकूर एवं मो0 नासीर, पिता–अब्दूल रासीद, साकिन–बेगमपुरी के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु दायर किया गया है।

इसमें आवेदक का कथन है कि वह बहुत प्रकार के बिमारी से ग्रसित है, जिसका इलाज बहुत दिनों से कराता आ रहा है, जिसमें आवेदक द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र भी समर्पित किया है। मौजा–बेगमपुर, थाना नं0–136, खाता नं0–33, खेसरा नं0–395, 396 एवं 398, रकवा–0.99 डिसमिल तथा खाता नं0–144, खेसरा नं0–376 एवं 261, रकवा–0.66 डिसमिल, कुल रकवा–1.65 डिसमिल जमीन है।

इस संदर्भ में अंचलाधिकारी, के0 नगर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचलाधिकारी, के0 नगर ने अपने पत्रांक 1021, दिनांक 12.10.2011 के द्वारा प्रतिवेदित किये है कि श्री बैजूल हेम्ब्रम, पिता–स्व0 सुफल हेम्ब्रम, साकिन–झौवारी धाट, थाना–के0 नगर का मौजा–बेगमपुर में 1.65 एकड़ एवं मौजा–परोरा के 1.00 एकड़ कुल–2.65 एकड़ जमीन है, जिसमें 1.00 एकड़ जमीन बिक्री करना चाहते है। प्रश्नगत जमीन का लगान वर्ष 2011–12 तक भुगतान है।

अतः अभिलेख में उपलब्ध सभी कागजातों के अवलोकनार्थ आवेदक को अपनी बिमारी का इलाज कराने हेतु प्रस्तावित भूमि के बिक्री की अनुमति दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ